न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—92/2021/223 (2021/92)

1. रामदेव पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम दांतड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजमल पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम दांतड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

असल रेस्पोडेंटस

2. प्रभूलाल पुत्र बालू,
3. महेन्द्र पुत्र रामकरण,
4. दिलीप पुत्र रामकरण,
5. भंवरी पत्नि घासीराम,
6. विकास पुत्र घासीराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— उषा पत्नि विकास,
   6/2— यश पुत्र विकास,
7. विवेक पुत्र घासीराम,
8. विनोद पुत्र घासीराम,
9. गोपाल पुत्र रामप्रसाद,
10. जीवणराम पुत्र धूला,
11. छगनलाल पुत्र धूला,
    जाति जाट, निवासी ग्राम दांतड़ा, तह0पीसांगन, जिला अजमेर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 15.9.2020 अंतर्गत वाद संख्या 42/2020.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री अजीतसिंह राठौड, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 11 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12.

निर्णय

दिनांकः— 15.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.9.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी एवं तरतीबी रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि ग्राम दांतड़ा तहसील पीसांगन की

जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 403 नया 174 पुना, खाता संख्या 269 नया 48 पुराना एवं ग्राम जेठाना के खाता संख्या 694 नया 729 पुराना में वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के मध्य मौके एवं राजस्व रिकार्ड में न्यायिक बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । उक्त आशय का वाद अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने उक्त वाद को दिनांक 24.8.2020 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये तथा अगली ही तारीख पेशी दिनांक 15.9.2020 को ही उक्त राजस्व वाद बाबत् प्रतिवादीगण को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किय तथा बिना जवाब दावे का अवसर प्रदान किये उक्त वाद में दिनांक 15.9. 2020 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने तथा रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने पर विद्वान वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अधी0न्याया0 द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.8.2020 को उक्त राजस्व वाद दर्ज किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 15.9.2020 नियत की गई तथा उक्त दिनांक को ही अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना साक्ष्य, सबूत एवं बिना जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिये राजस्व वाद को एक ही पेशी पर डिक्री कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं । दिनांक 15.9.2020 को अपीलांट नोटिस लेकर अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हुआ था तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपनी उपस्थिति हेतु अधी0न्याया0 की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये थे तथा प्रतिवादीगण ने उक्त राजस्व वाद के निस्तारण हेतु किसी प्रकार की अपनी सहमति नहीं दी थी इसके बावजूद अधीद्धन्याया0 ने रेस्पो0/वादी को लाभ पहुंचाने की गरज से बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान किये वाद को डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम दांतड़ा के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या नया 246 पुराना 387, खाता संख्या नया 270 पुराना 249, खाता संख्या नया 271 पुराना 252, खाता संख्या नया 404 पुराना 173 एवं खाता संख्या नया 638 पुराना 261 अपीलांट के पिता के द्वारा क्रयशुदा थे परन्तु उक्त आराजियात बाबत् आपसी बंटवारे से वादी के पक्ष में छोड़ा गया था एवं सीधे वादी के नाम पंजीकृत बेचाननामा निष्पादित करवा दिया था तथा उक्त बेचाननामे के बदले प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के पैतिक हिस्से से ग्राम जेठाना की भूमि प्रदान की गई थी तब से अपीलांट उक्त आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है । इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट को बिना जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष लंबित उक्त वाद के नोटिस तामील होने पर तथा दिनांक 15.9.2020 को अपनी उपस्थिति अधी0न्याया0 के समक्ष आदेशिका में प्रदर्शित करने के उपरांत अपने अभिभाषक से मिला तत्पश्चात् उसके अधिवक्ता ने आगामी कार्यवाही हेतु उक्त राजस्व वाद की नकल प्राप्त की तब उन्हें पता चला कि उक्त

राजस्व वाद बाबत् प्रथम पेशी पर ही वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जा चुका है । तत्पश्चात् अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है ।

6. हमनें विद्वान वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 24.9.2020 को पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के आदेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 15.9.2020 नियत की । दिनांक 125.96.2020 को प्रतिवादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में उपस्थिती प्रदान की । अधी0न्याया0 ने दिनांक 15.9.2020 को ही वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद इस आधार पर डिक्री कर दिया कि सभी पक्षकार बंटवारे हेतु सहमत है । जबकि अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा वाद डिक्री किये जाने हेतु कोई सहमति प्रदान नहीं की गई थी केवल मात्र वाद में उपस्थिति बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये थे । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तामील होने के उपरांत प्रतिवादीगण को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर ही वाद का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये । हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट की तामील होने पर प्रथम पेशी पर ही प्रतिवादी/अपीलांट को जवाबदावा, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद को डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.9.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर